न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या – 12/2020 बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 इन्द्रचंद अग्रवाल पुत्र हरनारायण जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार, नागौर।
फर्म– मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजिया का चौक, सदर बाजार, नागौर।
2 हरनारायण पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार नागौर।
फर्म– मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजिया का चौक, सदर बाजार, नागौर।
3 फर्म– मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजिया का चौक, सदर बाजार, नागौर।

आदेश दिनांक :28.12.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 03-12-2019 को मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजियों का चौक, सदर बाजार नागौर जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ नमकीन (श्रीनारायण ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1227 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/309/एक्ट/2019/309 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ नमकीन (श्रीनारायण ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण इन्द्रचंद अग्रवाल पुत्र हरनारायण जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार, नागौर जिला नागौर तथा हरनारायण पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार, नागौर जिला नागौर तथा फर्म मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजियों का चौक, सदर बाजार, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-06-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतराज कांगसिया अधिवक्ता ने दिनांक 30.07.2020 तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से दिनांक 29.10.2020 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 04.03.2021 को जवाब पेश किया तथा पुनः जवाब दिनांक 28.12.2021 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब दिनांक 28.12.2021 मे बताया कि अभियुक्तगण गरीब अनपढ एवं कम पढे लिखे व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण को कानूनी नियमों के प्रावधानों की जानकारी नहीं रही है। अभियुक्तगण प्रतिदिन मजदूरी एवं छोटे स्तर पर (लघु उद्योग) के अन्तर्गत भुजिये बनाकर अपनी छोटी सी दुकान में उनका न्यूनतम लाभ पर विक्रय करते हैं। अभियुक्त नं. 02 अपने निवास स्थान पर मजदूर की सहायता से शुद्व भुजिये बनवाता है तथा अभियुक्त संख्या 01 इन भुजियों को अपनी दुकान पर न्यूनतम लाभ पर बेचता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रति दिन लगभग 40–50 किलो भुजिये वगैराह ही बनाये जाते है तथा उन्हें बेचा जाता है। अभियुक्तगण द्वारा बनाये गये भुजिये खाने योग्य है एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ है उनमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं की जाती है। अभियुक्त संख्या 02 वृद्व व्यक्ति है तथा ज्यादा चलने–फिरने में असमर्थ हैं तथा अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 01 मजदूर पेशा व्यक्ति है इस कारण न्यायालय में बार–बार तारीख पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थ हैं। अभियुक्तगण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने ऊपर लगाये गये आरोप स्वीकार करते है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध यह प्रथम अपराध है तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुर्नरावृति नहीं करेगें। अभियुक्तगण ने कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 309/एक्ट/2019/309 दिनांक 12.12.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन (श्रीनारायण ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रचंद अग्रवाल पुत्र हरनारायण जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार, नागौर जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 2 हरनारायण पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी मुण्डवा रोड, सैनिक बीयर बार के पीछे, चेनार, नागौर जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 3 फर्म मैसर्स नारायण भुजिया भण्डार, काजियों का चौक, सदर बाजार, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल घटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)